CBSE/AF/3

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(मान्यता शाखा)
(AFFILIATION BRANCH)

2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली
2/19, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi-110002

सं० : केमा०शि०बो०/मा०/
No. : CBSE/Aff./ 5403/ 8195-98

दिनांक :
Dated : 21/2/91

The Principal
D.A.V. Public School,
Cheeka-132034 (Haryana).

विषय : माध्यमिक कक्षाओं की अस्थायी मान्यता के लिए अनुमति देना।

Sub. : Grant of Provisional Affiliation for Secondary classes. in respect of above school

प्रिय महोदय/महोदया
Dear Sir/Madam,

1. आपके दिनांक.................... के आवेदन पत्र और तदन्तर बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई निरीक्षण समिति के द्वारा विद्यालय के निरीक्षण के संदर्भ में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि बोर्ड द्वारा दिनांक.................. से ....तक अखिल भारतीय/दिल्ली माध्यमिक स्कूल परीक्षाओं के लिए उपरोक्त विद्यालय को अस्थायी मान्यता के लिए स्वीकृति दी जाये।

1. With reference to your application dated ......28.8.89...... and subsequent inspection of the school by an Inspection Committee appointed by the Board, I am directed to convey sanction for Provisional Affiliation of the above said school with the Board for the All India/~~Delhi~~ Secondary School Examination from......1.4.90 -........to.....31.3.91-..........

2 यह भी ध्यान में रखा जाए कि यह मान्यता तब तक रहेगी जब तक विद्यालय मान्यता के उप-नियमों 1988 में दिए गए या समय-समय पर संशोधित सभी नियमों और शर्तों का पालन करते रहेंगे। मान्यता के उप-नियमों की मुख्य शर्तों का अनुपालन न करने पर अथवा बोर्ड के स्तर से गिरने पर नियमों के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

2. It may be noted that this affiliation is subject to the school continuing to abide by all the rules and conditions as given in the Affiliation Bye-laws 1988 or as they may be amended from time to time. Non-compliance of major conditions of the Affiliation Bye-laws or not conforming to the standard of the Board may attract action for disaffiliation of the school under the rules.

3. आपका ध्यान विशेष रूप से निम्नलिखित की ओर आकर्षित किया जाता है :—

3. Your attention is particularly invited to the following :

(i) मान्यता के उप-नियमों के खण्ड 2. 14 से 2. 21 के अन्तर्गत दी गई भौतिक सुविधाओं के क्रम चलता रहेगा।

(i) The school will continue to maintain the physical facilities given under clause 2.14 to 2.21 of the Affiliation Bye-laws.

(ii) शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी नौकरी की शर्तें और वेतन मान्यता के उप नियमों के खण्ड 2. 22 से 2. 29 के दिए गये उपबन्धों के अनुसार होना चाहिए।

(ii) The appointment of teachers, their service conditions and salaries should conform to the provisions given in clause 2.22 to 2.29 of the Affiliation Bye-laws.

(iii) बोर्ड परीक्षाओं के संचालन और स्पॉट मूल्यांकन के लिए विद्यालय के भवन, फर्नीचर व उनके स्टॉफ का उपयोग कर सकता है। विद्यालय के आवास और फर्नीचर आदि के लिए बोर्ड कोई खर्च वहन नहीं करेगा। परन्तु परीक्षा संचालन में लगे हुए स्टॉफ और स्पॉट मूल्यांकन के विभिन्न कार्यों के लिए बोर्ड के द्वारा निर्धारित दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। कोई भी कर्मचारी परीक्षा के संचालन और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय उन्हें दिए गए कार्य से इंकार नहीं कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए बोर्ड द्वारा जब कभी आवश्यकता होगी तब वह उनके कर्मचारियों को काम में लगाएगा।

(iii) The school will place at the disposal of the Board its building, furniture and necessary staff for holding the examinations and for spot evaluation. No payment for accommodation and furniture etc. will be paid to the school. However, staff engaged in the conduct of examinations and spot evaluation will be paid as per rates prescribed by the Board for various assignments. No employee will refuse the work allotted to him/her for conduct of examination/evaluation of answer books and the Principal shall have to spare the employees as and when required by the Board for this purpose.

(iv) विद्यालय अपने विद्यार्थियों को न किसी दूसरे बोर्ड की परीक्षा के लिए भेजेगा और न ही विद्यालय के परिसर में अथवा विद्यालय के बाहर विद्यालय अपने नाम से कक्षाएँ या शाखाएँ संचालित करेगा। किसी दूसरे विद्यालय के विद्यार्थी विद्यालय अपने नाम से नहीं भेजेगा।

(iv) The school shall not send candidates for another Board ... classes/branches shall be run within the premises of the school or outside in the name of the school. The school also shall not send candidates from any other school which is not affiliated with the Board.

(v) विद्यालय नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष 31 मई तक वार्षिक शुल्क के रूप में 200/- रु० (विदेश में स्थित विद्यालयों के लिए 1000/- रु०) भेजेगा।

(v) The school shall remit Rs. 200/- (Rs 1000/- for overseas schools) as annual fee regularly by 31st May each year.

(vi) बोर्ड के द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा बोर्ड के कर्मचारियों या राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा किसी भी समय निरीक्षण के लिए विद्यालय अपने रिकार्ड तैयार रखेगा और विद्यालय/बोर्ड/राज्य/संघ शासित सरकार के द्वारा समय-समय पर मांगी गई सूचनाएँ देगा।

(vi) The school and its record shall be open for inspection by an official of the Board or any person authorised by the Board or the State Education Department at any time and the school shall furnish information as may be asked for by the Board/State/UT Govt. from time to time.

(vii) मान्यता के उप-नियमों के खण्ड 2.30 से 2.32 में दिए गए शुल्क और दूसरे प्रभार दिए जायेंगे।

(vii) The fee and other charges shall be paid as provided in clause 2.30-2.32 of Affiliation Bye-laws

4. उपर्युक्त विद्यालय को आबंटित किया गया कोड नं०.................... है। कृपया इसे ध्यान में रखा जाए और बोर्ड से मान्यता के संदर्भ में कोई भी पत्राचार करते समय उसे लिखा जाए।

... no allotted to the above school is......5403.........This may please be noted and quoted ...pondence in the matter of affiliation with the Board.

5. निरीक्षण समिति के द्वारा बताई गई निम्नलिखित कमियों की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जो कि .... मा ने तक सुधार ली जाएँ और बोर्ड को लिखित प्रमाण से पुष्ट की गई अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

5. Your attention is also drawn to the following deficiencies pointed out by the Inspection Committee which may be removed ~~xxxxx~~ immediately months and definite compliance report supported by documentary proof be submitted to the Board:

These deficiencies are given in page no. 4.

भवदीय

Yours faithfully,

(O.P. MUDGAL)

JOINT SECY. (AFFL.)

सं० : के०मा०शि०बो०/मान्यता/

No. : CBSE/Affl /15403/

दिनांक : 01/12

Dated :

प्रतिलिपि प्रेषित :

Copy forwarded to :

1. प्रधानाचार्य
   ~~The Principal~~ ....

2. परीक्षा नियन्त्रक, के०मा०शि०बो०, नई दिल्ली
   The Controller of Examination, CBSE, New Delhi

3. निदेशक/(शैक्षणिक)/के०मा०शि०बो०, नई दिल्ली
   The Director (Academic), CBSE, New Delhi

They may please note and uptodate their list.
कृपया वे इसे नोट करें और अपनी सूची अद्यतन करें।

4. निदेशक शिक्षा/निदेशक लोक अनुदेशन :
   ~~The Director of Education/Director of Public Instruction~~ ....
   The Regional Officer, CBSE, Chandigarh......

5.

JOINT SECY. (AFFLN.)

कृपया ध्यान दें : भाषाओं के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तकें हिन्दी और अंग्रेजी माध्यमों के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।

NB : The Board shall not be responsible for making available the recommended books in media other than Hindi and English.